बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अंतर्गत श्रमिकों की उनकी कुशलता के आधार पर वर्गीकरण एवं श्रमिकों/कामगारों की कार्य की प्रकृति के अनुरूप कोटि का निर्धारण किया जाना विचाराधीन था।

बिहार राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद् की दिनांक–22.11.2024 को आयोजित बैठक में श्रमिकों के उनकी कुशलता के आधार पर वर्गीकरण किये जाने की अनुशंसा के आधार पर श्रमिकों/कामगारों का कोटिकरण हेतु प्रारूप अधिसूचना सं०–7112–7113 दिनांक–23.12.2024 निर्गत कर दो माह की अवधि निर्धारित करते हुए आम जनमानस के आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये।

विभिन्न संगठन द्वारा दिए गय आपत्ति एवं सुझाव तथा बिहार राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद् की दिनांक–21.03.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के उपरान्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कामगारों के कोटि का अंतिम वर्गीकरण निम्नवत किया जाता हैः–

"अकुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कौशल या अनुभव की अपेक्षा अंतर्वलित नहीं है।

"अर्द्धकुशल" से ऐसा कार्य अभिप्रेत जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

"कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता अंतर्वलित है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

" अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई भी डिग्री और कतिपय कार्यो के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यो के निष्पादन में अंतर्वलित कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

श्रमिकों /कामगारों का वर्गीकरण

क्रम0सं0	अकुशल
1.	बेलदार
2.	ग्वाला
3.	चरवाहा (सभी प्रकार के पशुओं को चराने वाला)
4.	सफाई कर्मचारी (नाला, गाड़ी, कार्यालय, अस्पताल आदि)
5.	चारा इक्ट्ठा करना
6.	कुली का कार्य
7.	मजदूर (कृषि, निर्माण कार्य, डेयरी एवं अन्य कार्यों में संलग्न)
8.	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा आदि)
9.	हाथों से ईंट, पत्थर, सड़क, दिवाल इत्यादि तोड़ने वाला
10.	गट्ठर तोलने और ले जाने वाला
11.	ट्रॉली मैन
12.	ठेला चलाने वाला
13.	सफेदी करने वाला
14.	लकड़ हारा
15.	परिचारी/चपरासी (सरकारी कार्यालयों एवं अन्य जगहों में कार्यरत)
16.	घास काटने वाला
17.	बजरी फैलाने वाला
18.	कूटने–पीसने वाली महिला
19.	नाविक का सहायक
20.	श्रमिक (ब्वॉयलर, पशु–अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना–उतारना, बर्डिंग, कार्टिंग–फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज अंकुरण, बीज बोना, छानना, प्रत्यारोपण, खर पतवार की छँटाई)
21.	भिश्ती/पानी पिलाने वाला
22.	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
23.	फ्लैग मैन
24.	सर्चर
25.	सिग्नल मैन
26.	लोडर
27.	बर्तन धोने वाला
28.	ऑफिस ब्वॉय
29.	खोदने वाला
30.	लॉरी सहायक
31.	ट्रॉली ब्वॉय
32.	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति

या अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी कुशलता या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।

क्रम0सं0	अर्द्धकुशल
1.	सहायक प्लम्बर
2.	ब्रांडर / बुक बाइंडर
3.	चालक (टांगा / रिक्शा / कोच)
4.	सहायक मोची
5.	डिलीवरी मैन
6.	धोबी / रंगरेज
7.	ड्रेसर
8.	हॉस्पिटल वार्ड ब्वॉय
9.	स्वचालित यंत्र से ईंट, पत्थर, सड़क, दिवाल इत्यादि तोड़ने वाला
10.	लोहार का सहायक
11.	मेट
12.	ऑयल मैन
13.	हल चलाने वाला
14.	सहायक वॉल्व मैन
15.	एस्वेस्टस / टीन शेडल गाने वाला
16.	बीड़ी बाँधना / बीड़ी के लिए पत्ता एवं तंबाकू कटाई / बीड़ी सें काई करना
17.	सहायक रसोईया / मसालची,
18.	आरी चलाने वाला
19.	खलासी (लोको–क्रेन / ट्रक / बस / भारी गाड़ी / एम्बुलेंस / तिनपहिया वाहन / पिकअप, आदि)
20.	मांझी (बोटमैन) / नाविक / मल्लाह
21.	बेंल चावाला
22.	छप्पर बाँधने वाला
23.	ड्रिलर
24.	उत्खनक
25.	ग्राइन्डर
26.	हैमर मैन
27.	हेल्पर (राज मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, आदि)
28.	सहायक वायर मैन / सहायक लाइन मैन
29.	मेट (लोहार, सड़क, बढ़ई, आदि)
30.	फीडर
31.	पंप–चालक
32.	पहरेदार या वॉच मैन, दफादार, चौकीदार, रात्री प्रहरी
33.	प्रयोगशाला ब्वॉय / पैथो लॉजिकल एटेन्डेंट / मेडिकल एटेन्डेंट
34.	माली सहायक
35.	पेट्रोल मैन, नोजल मैन
36.	कसाई
क्रम0सं0	**कुशल**
1.	शिल्पकार (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्रीधारी)
2.	लोहार
3.	बायलर मैन

4.	बढ़ई
5.	चालक (LMV)
6.	फिटर
7.	मशीन मैन
8.	मैकेनिक
9.	पेन्टर
10.	नलसाज (प्लम्बर)
11.	वेल्डर
12.	वायरमैन
13.	रसोईया
14.	इलेक्ट्रीशियन
15.	मिस्त्री (टेलीफोन, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, आदि)
16.	मीटर रीडर
17.	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रैन, डोरिक, डीजल इंजन, डोसर, ड्रैगलिंग ड्रिलडम्बर, खुदाई, फॉर्क लिफ्ट जेनरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पेमेंट ब्रेकर लोडर, पंप, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेटबैच, रेलवेगार्ड, मरम्मत करने वाला (बैटरी)
18.	सर्वेयर (सर्वेक्षक)
19.	फायरमैन
20.	दर्जी
21.	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
22.	मोची
23.	लाइन मैन
24.	राज मिस्त्री
25.	माली
26.	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
27.	पुस्तकालय अध्यक्ष
28.	टेलीफोन ऑपरेटर
29.	अनुवादक
30.	मुंशी
31.	टाइ पिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारे जाते हैं, जो लिपिक प्रकृति के हैं
32	बटन–पट–चालक–I, सारणी पुरूष
33	प्रधान सारणी पुरूष
34	सारणी निरीक्षक
35	फोरमैन

या कुशल प्रकृति का कोई अन्य प्रवर्ग, जिनमें कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनी की या किसी व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके निष्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है, उनके नाम कुछ भी हों।

क्र0सं0	अत्यधिक कुशल
1.	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
2.	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
3.	कंपाउन्डर / मेडिकल टेक्नीशियन
4.	नर्स या इसी प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य कामगार
5.	मुख्य मिस्त्री
6.	मशीन टूल मैकेनिक
7.	मुख्य इलेक्ट्रीशियन / **फोरमैन–I / फोरमैन–II**
8.	बायलर मैन केबल संयोजक
9.	मैकेनिक (वातानुकूलन)
10.	सड़क निरीक्षक
11.	उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त)
12.	वेल्डर एवंफिटर
13.	वायरमैन
14.	उद्घोषक / गायक / वादक
15.	चित्रकार
16.	प्रधान बावर्ची / प्रधान खानसामा / प्रधान महाराज
17.	प्रधान कारीगर
18.	प्रधान मिस्त्री (मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन आदि)
19.	सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव
20.	केमिस्ट
21.	चालक(**HMV**)

या कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति का हो, जिनमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य अनुभव के आधार पर अर्जित खास कार्यों के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री तथा पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इनके निष्पादन हेतु कामगारों में विवके या विनिश्चय के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।

क्र०सं०	लिपिकीय / पर्यक्षीय संवर्ग
1.	सहायक (फार्म)
2.	सहायक (कैशियर)
3.	कम्प्यूटर / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
4.	मुंशी
5.	स्टोरकीपर
6.	टाइपकीपर
7.	टंकक
8.	लेखा लिपिक
9.	बुककीपर
10.	पत्रिका लिपिक
11.	स्टोरलिपिक
12.	रजिस्टर कीपर

13.	लिपिक
या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपकीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रकृति के हों।	

टिप्पणीः— (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों मे परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि **(Overtime)** कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या–4/M.W-40-14 / 2025श्र0सं0–1661)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/M.W-40-14 / 2025श्र0सं0 1662 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28.3.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/M.W-40-14 / 2025श्र0सं0 1662 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई

दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.3.25

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/M.W-40-14/2025श्र0सं0 1662 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

28.3.25

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/M.W-40-14/2025श्र0सं0 1662 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.3.25

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।